भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2450

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को जीएसटी से छूट"

2450. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के उत्पाद हस्तनिर्मित हैं और उनकी उत्पादन लागत अधिक है;
(ख) क्या केवीआईसी के कुछ उत्पादों पर 12 प्रतिशत तक जीएसटी लगाया जा रहा है; और
(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार देश के इस पारंपरिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने/बनाए रखने के लिए सभी खादी उत्पादों को जीएसटी से छूट देने पर विचार कर रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) खादी उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया हाथ से काती और बुनी हुई होती है और यह श्रम/कारीगर प्रधान गतिविधि है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विनिर्माण में संचालन की पूर्णतः मैनुअल प्रकृति के कारण, विनिर्माण लागत समग्र उत्पाद लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।

(ख) जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधियों वाला एक संवैधानिक निकाय है, की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं। केवीआईसी आउटलेट्स से बेचे जाने वाले खादी सूत और खादी कपड़े, गांधी टोपी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। अधिकांश हस्तनिर्मित वस्त्र उत्पादों पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू होती है। 1000 रुपये तक के विक्रय मूल्य वाले बुने हुए या क्रोशिया से बने हस्तनिर्मित परिधान और वस्त्र सहायक उपकरण पर 5% जीएसटी और अन्यथा 12% जीएसटी लगता है।

(ग) जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने संबंधी एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है। जीओएम के विचारार्थ विषय में जीएसटी की वर्तमान दर स्लैब संरचना की समीक्षा और दरों को युक्तिसंगत बनाने की सिफ़ारिश करना शामिल है।

*****